न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

अधिहरण वाद संख्या–161/2021

अंदर धारा–58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार बनाम अज्ञात

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
	यह वाद समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय से विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त है। इस वाद की कार्यवाही अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (ज्ञाप सं0–378/म0नि0, दिनांक 29.05.2021) के आलोक में फारबिसगंज अंचल उत्पाद कांड संख्या–18/2021, दिनांक 19.04.2021, धारा–30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 में जब्त 1. सुपर स्पलेन्डर मोटर साईकिल पंजीयन संख्या–अंकित नहीं, चेसीस संख्या–MBLJARO37J9A0 3686, ईंजन संख्या–JAO5EGJ9A03048 एवं 2. दो पहिया वाहन सुपर स्पलेन्डर मोटर साईकिल, पंजीयन संख्या–अंकित नहीं, चेसीस संख्या–MBLJA05FMG9H10225, ईंजन संख्या–JA05ECG9H38650 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा–58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया ने अपने पत्रांक 930/जि0परि0, दिनांक 19.08.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किये है कि संबंधित वाहन के वाहन स्वामी का विस्तृत विवरणी कार्यालय के कम्पयूटर में ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अतः इस वाद को आदेश पर रखा गया। दूसरी ओर जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया ने अपने पत्रांक 931/जि0परि0, दिनांक 19.08.2021 के द्वारा पंजीयन सं0 BR38Q2087 चेचिस संख्या MBLJAR037J9A03686 के वाहन मालिक का नाम एवं पता उपलब्ध कराया गया है, जिनके विरूद्ध वाद की कार्यवाही चालू है। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सहायक उप निरीक्षक, 56वीं वाहिनी एस0एस0बी0, बी0ओ0पी0, पथराहा चौकी कमाण्डर दिनांक 14.04.2021 समय 01:10 बजे प्राप्त आसूचना के आधार पर मानिकपुर सीमा स्तम्भ संख्या 189/3 WP-3 के पास नाका के लिए बी0ओ0पी0, पथराहा से रवानगी कराया तथा वहाँ पहुँचने के बाद Coy HQ से QRT को मँगाया। नाका के दौरान समय 2:20 बजे देखा गया कि नेपाल की ओर से दो मोटर साईकिल सीमा को पार करते हुए भारत की ओर आ रही है। नाका के पास पहुँचने पर दोनों मोटर साईकिल को रोकने का इशारा किया गया। मोटर साईकिल चालक दोनों मोटर साईकिल को मौके पर ही छोड़कर नेपाल की ओर भागने में कामयाब हो गया। मोटर साईकिल के पास जाकर देखा तो मोटर साईकिल के उपर बोरी बँधा हुआ था, जिसमें शराब था। बोरी को खोलकर जाँच करने के लिए दो स्वतंत्र गवाह को तलाशा गया। रात होने की वजह से गवाह ना होने पर साथ के दो जवान को गवाह बनाकर उनके समक्ष समान को खोलकर जाँच किया गया। जाँच में दिलवाले नेपाली देशी शराब 540 बोतल (164 लीटर) बरामद हुआ। बरामद शराब एवं दोनों वाहन को विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में शराब की पुष्टि की गई है। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी	

द्वारा अवैध शराब का जब्त दो पहिया वाहन से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। जब्त दो पहिया वाहन राजसात होने योग्य है।

अधीक्षक, मद्यनिषेध, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी का जब्त वाहन का उपयोग अवैध शराब को व्यवसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त वाहन बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार फारबिसगंज अंचल उत्पाद कांड संख्या–18/2021, दिनांक 19.04.2021 में जब्त दो पहिया वाहन सुपर स्पेलन्डर मोटर साईकिल **पंजीयन संख्या–अंकित नहीं, चेसीस संख्या–MBLJA05FM G9H10225, ईजन संख्या–JA05EC G9H38650 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत राजसात** (Confiscate) किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित,

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 86 /रा(न्या0), अररिया, दिनांक 24/09/2021

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, मद्य निषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/21

अपर समाहर्त्ता,
अररिया